**रक्षा मंत्रालय**
**संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ कार्यालय**

**विषयः- हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टंकण) पत्राचार पाठयक्रम का प्रशिक्षण**
**(01 अगस्त, 2018 से जनवरी, 2019)**

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के परिपत्र सं 19016/1/2018-हिटपपा/केहिप्रसं/488-2487 दिनांक 23 अप्रैल 2018 की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है।

2. मुप्रअ कार्यालय के सभी अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अनुभाग के पात्र कर्मचारियों के नाम तथा अन्य ब्योरे संदर्भाधीन परिपत्र में दिए गए नामांकन प्रपत्र में भरकर दिनांक 22 जून 2018 तक राजभाषा अनुभाग को अवश्य भिजवा दें ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।

प्रतिभा शर्मा
(प्रतिभा शर्मा)
सहा निदेशक (रा भा)

अनुलग्नकः यथोपरि

**मुप्रअ कार्यालय के सभी अनुभाग**

**र मं, मुप्रअ अ वि सं, ए/29695/मुप्रअ/राजभाषा** **दिनांक 11 जून,2018**

प्रति सूचनार्थः-

सं स एवं मुप्रअ के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
निदेशक (मा सं) के निजी सचिव
निदेशक (सं एवं प्रशा.) के निजी सचिव
सभी उप मुप्रअ के वैयक्तिक सहायक
निदेशक र मु प्र सं के वैयक्तिक सहायक

टेलीफोन : 23018196
टेलीफैक्स/Telefax : 23018740
ईमेल/Email : 1. ddtc-chti-dol@nic.in
2.Chti-1037@nic.in

क्रमांक 19016/1/2018-हिटपपा/केहिप्रसं/ 488 - 2487 तक

**भारत सरकार**
**GOVT. OF INDIA**
**गृह मंत्रालय**
**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**
**(राजभाषा विभाग)**
**(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)**
**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान**
**CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE**
**हिंदी शब्द संसाधन पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध**
**Hindi Word Processing /Hindi Typing Correspondence Course Wing**

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-1100[illegible]
2-A, Prithvirajroad, New Delhi-110[illegible]

दिनांक / Date : 23.4.2018

सेवा में

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)/
निदेशक/संयुक्त निदेशक/प्रबंधक (राजभाषा) /प्रशासनिक अधिकारी/
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/
राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

विषय:- हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण- 56वां सत्र ।
(1 अगस्त, 2018 से जनवरी, 2019)

महोदय,

हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) पत्राचार पाठ्यक्रम का 56वां सत्र 1 अगस्त, 2018 से प्रारंभ जा रहा है। हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

<u>प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी</u>

| पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | परीक्षा | पात्रता | हिंदी [illegible] योज[illegible] |
|---|---|---|---|---|
| हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) | 01 अगस्त, 2018 से जनवरी, 2019 | जनवरी, 2019 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में | केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन(हिंदी टाइपिंग) पत्राचार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।<br>अनिवार्य :<br>सभी अंग्रेजी टंककों/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में कार्यरत डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूर संचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर विभाग में कर सहायकों विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटरों/डाटा एंट्री | हिंदी [illegible] मिडि[illegible] (आठ[illegible] उसके [illegible] या अ[illegible] परीक्षा[illegible] हिंदी [illegible] योज[illegible] प्रवीण[illegible] |

मु. अ. राजभाषा
उप मुप्रअ (अनु स के) [illegible]
उप निदे. (क एवं रा.भा.) [illegible]
सहा निदेशक [illegible]
डायरी सं० 2994
दिनांक 04/06/18

श्रीमनीभानी / आर्य[illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आपरेटरों आदि के लिए हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं<br>1. जिन कर्मचारियों के कार्यालय/कार्य स्थल उसी शहर में स्थापित हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) प्रशिक्षण के नियमित/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों से 8 कि0मी0 अथवा इससे अधिक की दूरी पर स्थित हैं उनकी आवागमन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी इस पाठ्यक्रम में नामित किया जा सकता है।<br>2. जिन कर्मचारियों को नियमित अथवा अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में सीमित सीटें होने के कारण अथवा अन्य कारणों से प्रवेश नहीं मिल पाता उन्हें भी इस पाठ्यक्रम में नामित किया जा सकता है ।<br>3. वे आशुलिपिक जो केवल हिंदी शब्द संसाधन(हिंदी टाइपिंग) का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और जिन्हें उनके कार्यालयों द्वारा नियमित प्रशिक्षण के लिए छोड़ा जाना संभव नहीं है उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रम में नामित किया जा सकता है ।<br><u>स्वैच्छिक :</u><br>1. वर्तमान में सहायकों, प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है । अत: इन्हें हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) पत्राचार पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन (हिंदी टाइपिंग) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि – वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।<br><br>2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।<br>टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवानिवृत्ति प्रशिक्षण के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष या उससे कम शेष है को प्रवेश नहीं दिया जाएगा । | |